आदेश ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस॰ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 257/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

टाटा केपिटल हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, पंजीकृत पता– ग्यारहवीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनिस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर पारेल, मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

सूर्यप्रकाश आर काकरा पुत्र रामावतार श्री श्रीकिशन काकरा,

पता:– फ्लेट नं. जी–3, भूतल, प्लॉट नं. सी–42, मंगलम सिटी, ब्लॉक सी, ग्राम हाथोज, कालवाड़ रोड़, जयपुर।

अन्य पता:– प्लॉट नं. 255, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर।

अन्य पता:– बंसल एन्टरप्राईजेज, एफ–44, नंदपुरी विस्तार, स्वेज फार्म, सोडाला एरिया, जयपुर।

किरन देवी पत्नी सूर्य प्रकाश आर काकरा,

पता:– फ्लेट नं. जी–3, भूतल, प्लॉट नं. सी–42, मंगलम सिटी, ब्लॉक सी, ग्राम हाथोज, कालवाड़ रोड़, जयपुर।

अन्य पता:– प्लॉट नं. 255, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर।

पता:– वार्ड नं. 16, लोसल छोटी, लोसल, सीकर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

स्थित:– श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 06.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी किरन देवी के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. सी–42, योजना मंगलम सिटी, सी ब्लॉक, ग्राम हाथोज, कालवाड़ रोड़, जयपुर के भूतल पर स्थित फ्लेट नं. जी–3, कुल क्षेत्रफल 750 वर्गफीट को बन्धक रख कर दिनांक 31.10.2017 को राशि 12,26,239/– रूपये, दिनांक 17.07.2021 को राशि 03,97,000/– रूपये, कुल राशि 16,23,239/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.08.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 16,23,239/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बंन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 12,42,967/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 14.08.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी किरन देवी के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. सी-42, रजना मंगलम सिटी, सी ब्लॉक, ग्राम हाथोज, कालवाड़ रोड, जयपुर के भूतल पर स्थित फ्लेट नं. जी-3, कुल क्षेत्रफल 750 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाते हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner